आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08.01.2021	**न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद** **आर्बिट्रेशन केश नं0–51/2020** **अलीमुद्दीन अंसारी एवं अन्य –बनाम– भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य** दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–फफुवाडीह थाना नं0–**221**, खाता नं0–**101**, प्लॉट नं0–**424/5A, 424/7, 424/18B**, रकवा–**11.56 डी0** भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया। आवेदक अधिवक्त के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि :– (1) मौजा–फफुवाडीह थाना नं0–**221**, खाता नं0–**101**, प्लॉट नं0–**424/5A, 424/7, 424/18B**, रकवा–**11.56 डी0** भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उक्त भूमि पर Boundry Wall एवं Semi Pucaa Building है। (2) अर्जित भूमि का बिना किसी Proper जॉच किये मुल्यांकन किया गया है। (3) उक्त भूमि का अधिसूचना अगस्त 2013 में निर्गत किया गया है, परन्तु एक वर्ष अन्तर्गत अधिघोषण निर्गत नहीं किया गया। (4)उक्त अर्जित भूमि का बाजार दर से मुआवजा राशि का मुल्यांकन नहीं किया गया है। (5)उक्त भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 में औसत दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में की गई। (6) अर्जित भूमि का अधिनियम की धारा 3G (1) or (2) के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा 25,60,000.00 रू0 भुगतान का दावा किया गया है। उपरोक्त	

Scanned with CamScanner

वर्णित बिन्दुओं के आलोक में पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को मुआवजा राशि सही गणना कर भुगतान किया गया है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद का ज्ञापांक–**1519**/भू0अ0, दिनांक–**29.12.2020** के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा–फफुवाडीह थाना नं0–**221,** खाता नं0–**101,** प्लॉट नं0–**424/5, 424/7, 424/18,** रकवा–**0.1156 एकड़ (11.56 डी0)** भूमि का भूमि अधिग्रहण किया गया है, जो कृषि भूमि **5,12,400.00** रू0 प्रति एकड़ के दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। उक्त भूमि में संरचना अवस्थित है। जिसका मुआवजा राशि **6,18,718.00** रू0 भुगतान किया गया है।

अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर का पत्रांक–1272, दिनांक–28.12.2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है :–

आर्बिटेशन वाद सं0–51/2020 अलीमुद्दीन अंसारी, मौजा–फफुवाडीह, मौजा नं0–221, खाता नं0–424/5A, 424/7, 424/18B, रकवा–0.1156 से संबंधित भूमि पर वर्त्तमान में संरचना अवस्थित नही है, लेकिन स्थानीय लोगों एवं रैयतों द्वारा बताया गया कि संबंधित भूमि पर खपरैल होटल या जो सड़क निर्माण कार्य में तोड़ा गया, **लेकिन रैयत द्वारा संरचना से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।**

उक्त मौजा का गतसर्वे खतियान जीर्ण–शीर्ण होने के कारण अपठनीय है। हाल सर्वे के अनुसार खाता सं0–161, प्लॉट सं0–615 किस्म गोड़ा तीन है। वर्त्तमान में भूमि परती है।

अतः पक्षो को सुनने एवं प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त अर्जित भूमि पर संरचना अवस्थित था। जिसका मुआवजा राशि आवेदक को भुगतान किया जा चुका है। आवेदक द्वारा दावा किया गया कि कम मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, पुनः उक्त भूमि एवं संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसकी पुष्टि अंचल अधिकारी गोविन्दपुर

Scanned with CamScanner

द्वारा भी की गई है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आवेदक को मुआवजा राशि कम भुगतान किया गया है। NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक को मुआवजा राशि सही गणना कर भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति में यह वाद को **अस्वीकृत** किया जाता है। तदनुसार वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रतिलिपि आवेदक/NHAI एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद को दे।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
–सह–
आर्बिट्रेटर, धनबाद।

Scanned with CamScanner